

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल, योजना भवन नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची-834002

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

विषय :- बी0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0 पाठ्यक्रम में अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अद्यतन परिनियम में वर्णित प्रावधान के आलोक में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत संचालित अस्थायी संबद्धता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा				
क्र0	महाविद्यालय का नाम	सत्र	विषय	समिति की अनुशंसा
01	Institute for Education, Seraikella-Kharsawan	2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030	बी0एड0	स्वीकृत।
02	Rambha College of Education, Gitilala	2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030	बी0एड0	स्वीकृत।
03	DBMS College of Education, Kadma, Jsr	2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030	बी0एड0	स्वीकृत।
04	Madhusudhan Mahto Teachers Training College, Chakradharpur	2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030	बी0एड0	स्वीकृत।
05	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku Teachers Training Institute, Chandil	2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030	बी0एड0	स्वीकृत।
06	Jamini Kant B.Ed. College, Salboni	2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030	बी0एड0	स्वीकृत।
07	Jamini Kalyani Mahato College of Management Science & Commerce, Salboni	2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030	बी0एड0	स्वीकृत।
08	Karim City College, Jsr	2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030	बी0एड0	स्वीकृत।
09	Swami Vivekananda College of Education, Salboni	2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030	बी0एड0	स्वीकृत।
10	Srinath College of Education, Adityapur, Jsr	2026-2028, 2027-2029 एवं 2028-2030	बी0एड0	स्वीकृत।

Rans

P.T.O

शर्तें :-

- i. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।
- ii. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- iii. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्राक्धान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- iv. जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
- v. विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन०सी०टी०ई०, राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- vi. विश्वविद्यालय द्वारा जिन प्रस्तावों को Syndicate के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रेषित किया गया है, उनसे संबन्धित अधिसूचना के पूर्व Syndicate का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

Sans
17.6.26

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा

/राँची, दिनांक : 18/06/2026

ज्ञापांक :- 05/सं०-14/2026 - 1253/

प्रतिलिपि :- संबंधित प्राचार्य, बी०ए० महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sans
17.6.26

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा